



मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली-2
e-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Tel : 011 23232373

स. एक्स-11/14/1/2018- योववि

दिनांक : 18.06.2019

परिपत्र
Circular

विषय :- क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में अंशदान की दर में कमी करने संबंधी संशोधन ।

Sub: Amendment to Rule 51 of ESI (Central) Rules, 1950 regarding reduction in rate of contribution – reg.


उपरोक्त विषय पर अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 13.06.2019 को अधिसूचना सं. सं. सा.का.नि 423 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया है, की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है ।

क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में संशोधन किया गया है जो कि दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी होगा ।

Enclosed herewith is a copy of the notification published in the Gazette of India dated 13.06.2019 vide GSR 423(E), for information.

Rule 51 of ESI (Central) Rule, 1950 has been amended and shall be effective from 01.07.2019.

संलग्न – यथोपरि


18.06.19
(पी आर सिन्हा)
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय / विभागीय कार्यालय, को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।